



(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। वाद सं० 316/2021(12021121311016859) धारा 80 उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 ग्राम नरियावल पर०तह० व जिला बरेली। काम्पिटेन्ट बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स बनावम उ०प्र०सरकार । तहसीलदार सदर बरेली। ग्राम नरियावल परगना तहसील व जिला बरेली स्थित आराजी गाटा संख्या-168 रकवा 0.0500हे०, गाटा संख्या-231 रकवा 0.2280हे०, गाटा संख्या-234 रकवा 0.1140हे०, गाटा संख्या-258 रकवा 0.1010हे०, गाटा संख्या-277 रकवा 0.0380हे०, गाटा संख्या-49 रकवा 0.0950हे०, गाटा संख्या-259क रकवा 0.2280हे०, गाटा संख्या-268 रकवा 0.0380हे०, गाटा संख्या-266 रकवा 0.1260हे०, गाटा संख्या-272 रकवा 0.1010हे०, गाटा संख्या-273 रकवा 0.0700हे०, गाटा संख्या-283ख रकवा 0.0890हे० कुल 12 किता रकवा 1.2780हे० सन्नन्धी उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया है - तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 26.11.2021 से सहमत होते हुये वादी काम्पिटेन्ट बिल्डर्स एं० डेवलपर्स ज० विपिन कुमार पुत्र गोपाल नि० 14 सिविल लाइन्स, बरेली की ग्राम नरियावल परगना तहसील व जिला बरेली स्थित आराजी गाटा संख्या-168 रकवा 0.0500हे०, गाटा संख्या-231 रकवा 0.2280हे०, गाटा संख्या-234 रकवा 0.1140हे०, गाटा संख्या-258 रकवा 0.1010हे०, गाटा संख्या-273 रकवा 0.0700हे०, गाटा संख्या-277 रकवा 0.0380हे०, गाटा संख्या-283ख रकवा 0.0950हे०, गाटा संख्या-259क रकवा 0.2280हे०, गाटा संख्या-268 रकवा 0.0380हे०, गाटा संख्या-266 रकवा 0.1260हे०, गाटा संख्या-272 रकवा 0.1010हे०, गाटा संख्या-273 रकवा 0.0700हे०, गाटा संख्या-277 रकवा 0.0380हे०, गाटा संख्या-283ख रकवा 0.0890हे० कुल 12 किता रकवा 1.2780हे० पर चारो ओर बाउन्ड्री निर्मित है, प्रस्तावित आराजी गैर कृषिक प्रयोजन में आ रही है, प्रस्तावित आराजी पर कृषि कार्य तथा कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(2) के अन्तर्गत उद्घोषणा की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(7) में उल्लिखित प्राविधानों-इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, का उल्लंघन होता है या अभिलेख असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 26.11.2021 इस आदेश का अंग रहेगी। हं०र०क० 5.3.22/14.3.22

Data Digitally Signed by: BHARISH CHANDRA JOSHI (REGISTRAR KANONINGO).

दिनांक/समय/स्थान: 08-10-2025 04:46:06 तहसील : बरेली

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा जलक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली

मुद्रित दिनांक एवं समय: 08-10-2025 04:46:06

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेबसाइट पर जाकर <https://upbhulekh.gov.in> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

